



2026:AHC:43424

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- सी संख्या - 6471/2026

विश्वनाथ पाण्डेय एवं 4 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 17 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कृष्ण कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : आजाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षकारों के विधिक सलाहकार को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहां पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी को नोटिस देकर तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई सार्थक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इस आदेश से व्यथित/पीड़ित होता/होती है तो उसका/उसका आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रार्थना करने का अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।

3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/अपर आयुक्त (प्रशासन) प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि वह अपील संख्या 2069/2025 कंप्यूटरीकृत केस नंबर टी202502000002069 (मुन्नू बनाम विश्वनाथ और अन्य) यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(4) के अधीन, का शीघ्रतापूर्वक निर्णय करे।

4. यह मामला काफी समय से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित है और काफी समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका का निपटारा प्रतिवादी संख्या 2/अपर आयुक्त (प्रशासन) प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह उपरोक्त अपील का निर्णय विधि के अनुसार **कड़ाई से, अत्यंत शीघ्रतापूर्वक तथा यथासंभव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर करे**, किंतु अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।

25 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”